न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 98 / 2018 दायरा दिनांक : 03.07.2018

उनवान

सईद खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कदीर खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– रमजानी खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– यासीन खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री के एल रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 69 / दावा / 2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़ के खसरा नम्बर 292 व 293 कुल 4 बीघा आराजी के मामले में रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर बंटवारे का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाबदावे में विचाराधीन था परन्तु प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 कैम्प आवर में रख लिया और वादी की साक्ष्य लेकर प्रकरण का निर्णय कर रेस्पोडेंट वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । कानूनन लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो, और उनका राजीनामा प्रस्तुत किया हो । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान व लोक अदालत के निर्देशों व नियमों के पूर्णतया विपरीत है प्रतिवादी का जवाबदावा एवं साक्ष्य पेश करने से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाबदावे में चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में किया जिसके बाबत हमने लिखित में कोई सहमति नहीं दी। हमें जिरह का अवसर भी नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी शामलाती आराजी नहीं है । अपीलांट ने कहा कि वादग्रस्त आराजी हमने क्रय की है । अपीलांट सईद ने अपने बयान में कहा कि यह

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

गलत है कि हम चारों भाइयों ने वादग्रस्त आराजी खरीदी है मैंने अकेले ही चारों भाइयों के नाम खरीदी थी, रजिस्ट्री में नाम लिखवा दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सलंग्न रिकार्ड उभयपक्षकारों के बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयानों में अंकित करवाया है कि वादग्रस्त आराजी उसके द्वारा कय की गई है किन्तु उसके समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने अपने निजी पैसों से खरीद की हो । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक रिकार्ड एवं बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

आज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सईद खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
.... अपीलांट

बनाम

1– कदीर खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– रमजानी खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3– यासीन खां आत्मज श्री हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़
.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 98 / 2018 एवं नाराजगी डिक्री अदालत -- उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी
मु.नं0 69 / दावा / 2017 निर्णय व डिक्री दिनांक – 01.05.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 23 माह 02 सन् 2021

हाजरी श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री के एल रावल अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

आवत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 03 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)